तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक प्रार्थी । श्री विजेन्द्र चौधरी, अति0 राजकीय अभिभाषक। **आदेश** हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–91 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि तहसीलदार मालपुरा ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पेश कर माफी मंदिर श्री गोपाल जी की आराजी प्रार्थी के नाम गलत दर्ज कर दिये जाने के कारण विवादित आराजी पुनः मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु रेफरेंस राजस्व मंडल को प्रेषित करने हेतु निवेदन किया। किंतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक ने अपने आदेश दिनांक 30–12–91 द्वारा विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी से निरस्त कर माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी ज्ञापन में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि तहसीलदार द्वारा विवादित आराजी के सबंध में रेफरेंस प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया गया था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेंस करने के बजाय विवादित आराजी सीधे ही मंदिर के नाम दर्ज करने के आदेश बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिये। रिर्कोडेड खातेदार को सुने बिना उसकी खातेदारी की आराजी निरस्त की जा सकती। विवादित आराजी मंदिर की न होकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व बिना राजस्व अभिलेख, खसरा गिरदावरी के इंद्राजों बाबत् जांच एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अभिलेख मंगाये बिना नियमों से परे आदेश पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये उप राजकीय अभिभाषक ने कहा कि विवादित आराजी मंदिर की होना स्पष्ट होने से अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी से निरस्त कर मंदिर के नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया । तहसीलदार मालपुरा द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होने से पूर्व माफी मंदिर श्री गोपाल जी की होना अंकित करते हुये विवादित आराजी से सबंधित नामांतरकरण संख्या 128 व 175 को निरस्त करने हेतु राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत रेफरेंस प्रेषित करने का निवेदन किया। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश के जरिये रिकोर्डेड खातेदार को सुने बिना एवं राजस्व अभिलेख व खसरा गिरदावरी के इंद्राजों बाबत् जांच किये बिना स्वयं के स्तर पर ही राजस्व मंडल को रेफरेंस प्रेषित करने का कोई औचित्य नहीं होना मानते हुये विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी से निरस्त कर माफी मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है। जबकि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत होने के कारण उसे अपनी राय के साथ राजस्व मंडल में प्रेषित करना अधीनस्थ न्यायालय को आवश्यक था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आलोच्य निर्णय पारित किया है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः निगरानी स्वीकार योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–12–91 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक को लौटा कर निर्देश दिये जाते है कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त दिये गये अभिमत के आधार पर प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करत हुये प्रस्तुत राजस्व अभिलेख, खसरा गिरदावरी के इंद्राजों बाबत् विस्तृत जांच कर नियमानुसार निर्णय पारित करें । यदि बाद जांच प्रकरण रेफरेंस योग्य पाया जावे तो नियमानुसार स्पष्ट अभिमत के साथ रेफरेंस मंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	